तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.82/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
25.07.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (राजेन्द्र सुथार उर्फ रविन्द्र सुथार पुत्र वेनाराम सुथार, निवासी– करण नगर, गली नं. 6, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री आशापुरा सुपर मार्केट, टिम्बर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (मंगल गृह उद्योग, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, तहसील– शिवगंज. जिला– सिरोही जरिये प्रोपराईटर सोनी देवी पत्नि सोमाराम जी, जाति– कुम्हार, निवासी– महावीर कॉलोनी, शिवगंज, जिला– सिरोही) के अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 09.3.2022 को फर्म श्री आशापुरा सुपर मार्केट, टिम्बर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी राजेन्द्र सुथार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मक्की दलिया (त्रिशुल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1737 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./761/Act/2022/743 दिनांक 22.3.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंनें जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरुप नही की गई है। प्रतिवादी को जांच रिपोर्ट की प्रति भी नही भिजवाई, जिससे प्रतिवादीगण रेफरल लेब से नमूने के द्वितीय भाग की जांच कराने के अधिकार से वंचित रहे है। प्रतिवादी फर्म ने लेबल की त्रृटि में सुधार कर दिया। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 09.3.2022 को फर्म श्री आशापुरा सुपर मार्केट, टीम्बर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज में प्रतिवादी राजेन्द्र सुथार उर्फ र[illegible] सुपर मार्केट में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए ख[illegible] मक्की दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) के 16 पैक्ड [illegible] पदार्थ ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.82/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

मक्की दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ मक्की दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1737 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./761/Act/2022/743 दिनांक 22.3.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी राजेन्द्र सुथार उर्फ रविन्द्र सुथार की फर्म श्री आशापुरा सुपर मार्केट द्वारा खाद्य पदार्थ मक्की दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) को फर्म मंगल गृह उद्योग से क्रय किया गया था, जो खाद्य पदार्थ मक्की दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ मक्की दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 को उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मक्की दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी राजेन्द्र सुथार उर्फ रविन्द्र सुथार पुत्र वेनाराम सुथार, निवासी– करण नगर, गली नं. 6, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री आशापुरा सुपर मार्केट, टिम्बर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी मंगल गृह उद्योग, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही जरिये प्रोपराईटर सोनी देवी पत्नि सोमाराम जी, जाति– कुम्हार, निवासी– महाबीर कॉलोनी, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो [illegible] प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्[illegible] 8.8.2023 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:56 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड़)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.